BHDLA 135

हिंदी भाषा : विविध प्रयोग

दिसंबर 2024 की परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित ।

आसान भाषा में समझें.

PART-2

ScholarlyMinds

1.लहजा या अनुतान किसे कहते हैं ? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उस वाक्य को बोलने का ढंग या भाव ही अनुतान अथवा लहजा कहलाता है।

'अनुतान को सुरलहर कहते हैं। सुरों के आरोह-अवरोह क्रम को सुर लहर की संज्ञा दी गयी है। सुर एक व्यापक शब्द है, जो सभी घोष-ध्वनियों में वर्तमान है। इसी का समानार्थी शब्द तान' है। इसे हम शब्द का अर्थपरिवर्तक सुर कह सकते हैं। जब हम बोलते हैं तब वाक्य में सुरलहर रहती है।

यही कारण है कि पूरे शब्द या वाक्य में सुरलहर का निर्देश किया जाता है। अनुतान वस्तुत उस सुर को कहते हैं, जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है।

लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिह्नों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसे, प्रश्न चिह्न, प्रश्न वाचक वाक्यों के अंत में लगाया जाता है।

जिस वाक्य में आश्चर्य या विस्मय प्रकट किया जाता है, उसके अन्त में विस्मयादि बोधक चिह्न लगता है।

सामान्य रूप से सूचना देने वाले वाक्यों या निश्चयार्थक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का चिह्न (यानी खडी पाई) लगाया जाता है। एक ही वाक्य इन तीनों चिह्नों के साथ अलग-अलग लिखने पर तीन अनुतानों का बोध कराते हैं, जैसे :

यह बहुत अच्छा उपन्यास है ?

यह बहुत अच्छा उपन्यास है।

यह बहुत अच्छा उपन्यास है।

अनुतान स्वयं में एक विस्तृत विषय है। इसके एकाधिक भेद हैं।

आइए दो उदाहरणों द्वारा इसे और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे :

क्रिया- कौन जाएगा और जाएगा कौन ?

विशेषण- अच्छी चाय है और चाय अच्छी है

यहाँ हम देखें तो पहले वाक्य 'कौन जाएगा' का अर्थ होगा 'कोई जाएगा' लेकिन 'जाएगा कौन' का अर्थ होगा- कोई नहीं जाएगा, अर्थात् इससे निषेध अर्थ का बोध होता है। इसी तरह 'अच्छी चाय है का अर्थ होगा चाय सामान्यतः स्वादिष्ट है जबकि 'चाय अच्छी है' का अर्थ होगा चाय बहुत अच्छी है।

रोको मत, जाने दो।

रोको, मत जाने दो।

ये दोनों उदाहरण अनुतान को स्पष्ट करने के लिए प्रायः प्रयोग में लाए जाते हैं।

यहाँ अर्द्धविराम के अलग-अलग स्थानों पर प्रयोग से अर्थ-बोध में बदलाव उत्पन्न किया गया है।

रोको मत, जाने दो। से सकारात्मक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु को जाने दिया जाए. रोका न जाए।

जबकि दूसरे वाक्य रोको, मत जाने दो। से नकारात्मक अर्थ ध्वनित हो रहा है कि अमुक व्यक्ति या वस्तु को नहीं जाने दिया जाए अर्थात् रोक लिया जाए।

2. हिन्दी की संवैधानिक स्थिति की चर्चा कीजिए।

Scholarly Minds

संविधान सभा का निर्णय : स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने काफी बहस के बाद हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार कर लिया। 26 जनवरी, 1950 को भारतीय गणतंत्र की स्थापना के साथ–साथ भारतीय संविधान लागू हुआ और हिंदी को सरकारी कामकाज की भाषा स्वीकार कर लिया गया।

किंतु अंग्रेज़ी के स्थान पर हिंदी का प्रयोग एकदम शुरू कर देना संभव न था। ब्रिटिश शासन–व्यवस्था का संचालन अंग्रेजी में होने के कारण सभी कानून अंग्रेज़ी में थे और सारी प्रशासनिक कार्यविधि का साहित्य अंग्रेज़ी में था। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेज़ी ही था। ऐसी स्थिति में भाषा को एकदम बदलने से असुविधा उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए अगले पंद्रह वर्षों के लिए राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी का इस्तेमाल जारी रखा गया। साथ–ही–साथ संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कानून के माध्यम से कर सकती है। आगे हम संविधान में हिंदी के बारे में की गई व्यवस्था की चर्चा करेंगे:

संविधान में राजभाषा संबंधी व्यवस्था : इसके मुख्य अंशों को हम नीचे उद्‌धृत कर रहे हैं। राजभाषा संबंधी उपबंध (व्यवस्था) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 में दिए गए हैं।

राजभाषा

अध्याय 1 – संघ की भाषा

343. संघ की राजभाषा– (1) संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा।

2) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि तक संघ के उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए संविधान से पूर्व उसका प्रयोग किया जा रहा था:

परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान, आदेश द्वारा, संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी के लिए अंग्रेज़ी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा।

3) इस अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी, संसद उक्त पंद्रह वर्ष की अवधि के पश्चात् विधि द्वारा–

क) अंग्रेज़ी भाषा का; या

ख) अंकों के देवनागरी रूप का

इस तरह देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा स्वीकृत हुई है। राजभाषा के संदर्भ में भारतीय अंकों के स्थान पर उनके अंतर्राष्ट्रीय रूप का प्रयोग होगा अर्थात् १,२,३,४,५,६,७,८,९ की बजाय 1,2,3,4,5,6,7,8,9 लिखा जाएगा।

अध्याय 2– प्रादेशिक भाषाएँ

345 राज्य की राजभाषा या राजभाषाएँ– अनुच्छेद 346 और अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मंडल, विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा :

परंतु जब तक राज्य का विधान–मंडल, विधि द्वारा, अन्यथा उपबंध न करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा, जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था।

इस व्यवस्था के अनुसार राज्य का विधान मंडल विधि द्वारा, उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए राजभाषा या राजभाषाएँ स्वीकार कर सकता है। उदाहरण के लिए इस व्यवस्था के द्वारा ही महाराष्ट्र के कुछ जिलों में, जो कर्नाटक की सीमा से लगते हैं, कन्नड़ को किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इसी तरह उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा से लगते हुए जिलों में उड़िया या तेलुगू को कुछ शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा– संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्सम प्राधिकृत भाषा, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी :

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध– यदि इस निमित्त माँग किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी भाषा को भी राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे, शासकीय मान्यता दी जाए।

Scholarly Minds